



अधिसूचना

1. विश्वविद्यालय में 12 विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत 31 विभाग/केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से चार विभागों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुरन्धन डिग्री कार्यक्रम तथा अन्य विभागों में स्नातकोत्तर और शोध डिग्री कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
2. स्कूलों के विभिन्न विभागों/केन्द्रों के अध्यायन कार्यक्रमों में नामांकित स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री के विद्यार्थियों की संख्या में समरूपता नहीं है। अध्यादेश सं. 45-3(क) के प्रावधानों के अनुसार 20 नामित और 20 निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या को नामांकित विद्यार्थियों के अनुपात में विभिन्न स्कूलों में वितरित किया जाएगा। हि.प्र.के.वि. के अध्यादेश सं. 45-5 (ख) के प्रावधान के अनुसार जहाँ दो स्कूलों, जिन्हें निर्वाचन के लिए कम से कम एक-एक स्लॉट और नामांकन के लिए एक-एक स्लॉट के आवंटन के लिए इकट्ठा किया गया है, वहाँ जिस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, उस स्कूल के अधिष्ठाता दोनों स्कूलों के लिए निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वृत्तिके मानविकी स्कूल और शिक्षा स्कूल को इस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए, परन्तु शिक्षा स्कूल धोलाधार परिसर-1, धर्मशाला से तथा मानविकी स्कूल सात सिन्धु परिसर, देहरा से कार्य कर रहा है। इसलिए मानविकी संकाय को प्रदर्शन और दृश्य कला स्कूल के साथ इकट्ठा किया जाने का प्रस्ताव है तथा विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिष्ठाता, प्रदर्शन और दृश्य कला स्कूल इन दोनों स्कूलों के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।
3. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक रात्र 2016-17 से जन संचार तथा वित्तीय एवं विपणन सेवाओं में बी.वोक. कोर्स प्रारंभ किया गया है। अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम" के अनुसार विभिन्न स्कूलों के मध्य समानुपात के आधार पर सीट आवंटित कर छात्र परिषद का निर्वाचन और नामांकन किया जाना है। बी.वोक. कोर्सों के लिए कोई अलग स्कूल का निर्धारण नहीं किया गया है। दो स्कूलों नामतः पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल के अंतर्गत 'जन संचार में बी.वोक. कोर्स' और व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल के अंतर्गत 'वित्तीय एवं विपणन सेवाओं में बी.वोक. कोर्स' में विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम" का अनुपालन करते हुए विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन के उद्देश्य से बी.वोक. कोर्सों में पंजीकृत विद्यार्थियों को इन दो स्कूलों में जिनमें इन विद्यार्थियों का नामांकन है, शामिल किया गया है।
विभिन्न स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों, विभिन्न स्कूलों से नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न स्कूलों से निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का विवरण इस प्रकार है:

संख्या	स्कूल	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
1.	वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल + बी.वोक (एफ.एम.एस.)	311	2	2
2.	पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल	87	1	1
3.	भाषा स्कूल	312	2	2
4.	पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल बी.वोक(जनसंचार)	95	1	1
5.	जैविक विज्ञान स्कूल	281	2	2
6.	गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल	241	2	2
7.	भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल	282	2	2
8.	समाज विज्ञान स्कूल	431	4	4
9.	पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल	88	1	1
10.	प्रदर्शन और दृश्य कला स्कूल + मानविकी स्कूल	216	2	2
11.	शिक्षा स्कूल	48	1	1
	कुल	2392	20	20

4. अध्यादेश 45-5(क) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्कूलों के अधिष्ठाता विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन के लिए जिम्मेवार होंगे और संबंधित स्कूलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी भी होंगे।
5. लिंगदोह समिति रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी।

[Handwritten Signature]
17/11/23

6. छात्र परिषद के निर्वाचन की विस्तृत समय सारिणी इस-प्रकार है .

अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए छात्र परिषद की सदस्यता हेतु निर्वाचन समय-सारिणी


क्र.सं.	कार्य विवरण	तिथि एवं समय	दिन
1.	निर्वाचन के लिए अधिसूचना का जारी होना	28.11.2023, पूर्वाह्न 10:00 बजे	मंगलवार
2.	स्कूलवार मतदाता (नामांकित विद्यार्थी) सूची का लगाया जाना	28.11.2023, अपराह्न 03:00 बजे	
3.	मतदाता सूची में संशोधन के लिए निवेदन की प्राप्ति	29.11.2023, दोपहर 01:00 बजे	बुधवार
4.	स्कूलवार अंतिम मतदाता सूची को लगाया जाना	29.11.2023, अपराह्न 05:00 बजे	
5.	नामांकन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	30.11.2023, दोपहर 12:00 बजे से	गुरुवार
6.	नामांकन भरने की अंतिम तिथि	30.11.2023, अपराह्न 05:00 बजे तक	
7.	नामांकन पत्रों का परीक्षण	01.12.2023, दोपहर 12:00 बजे से	शुक्रवार
8.	स्कूलवार उम्मीदवारों की सूची को लगाया जाना	01.12.2023, अपराह्न 05:00 बजे	
9.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	04.12.2023, दोपहर 12:00 बजे	सोमवार
10.	स्कूलवार उम्मीदवारों की अंतिम सूची	04.12.2023, अपराह्न 03:00 बजे	
11.	चुनाव प्रचार का प्रारंभ	04.12.2023, अपराह्न 03:00 बजे से	मंगलवार
12.	चुनाव प्रचार बंद होने की तिथि एवं समय	05.12.2023, अपराह्न 05:00 बजे तक	
13.	मतदान के प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि व समय	06.12.2023, पूर्वाह्न 09:00 से दोपहर 01:00 तक	बुधवार
14.	मतों की गणना	06.12.2023, दोपहर 02:00 से 04:30 बजे तक	
15.	परिणामों की घोषणा	06.12.2023, अपराह्न 05:00 बजे	
16.	निर्वाचित उम्मीदवारों की अधिसूचना	06.12.2023, अपराह्न 05:15 बजे	

7. सभी विद्यार्थियों द्वारा अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम" में दी गई आचार-संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आचार-संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर हि.प्र.के.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


 प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन
 अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रति: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. सूचना पट्ट (सभी शैक्षणिक परिसर तथा छात्रावास)।
2. सभी संकायों के अधिष्ठाता, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला।
3. एसोसिएट अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा तथा धौलाधर परिसर -1 & 2, धर्मशाला।
4. कुलानुशासक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रोवोस्ट, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
6. छात्रावासों के वार्डनों को सूचनार्थ प्रेषित।
7. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
8. पुस्तकालय-अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
9. कुलसचिव, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
10. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
11. माननीय कुलपति महोदय के सचिव, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
12. सहायक कुलसचिव- कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
13. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. जनसंपर्क अधिकारी, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
15. अधिष्ठाता अकादमिक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।


 अधिष्ठाता छात्र कल्याण